न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 — 34 / 2017 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 23.03.2017	तारीख फैसला 20.04.2017

उनवान

सायरी पत्नि रणजीत जाट निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां — प्रार्थिया

बनाम

1— मोहन पिता सोनारायण जाट निवासी ड़ोहरिया
2— परमेश्वर पिता शिवनारायण जाट निवासी उम्मेदपुरा
3— भंवर पिता सोजीराम जाट निवासी उम्मेदपुरा
4—6 गोपाल, शैतान, खाना पिता धन्ना बैरवा निवासी उम्मेदपुरा
7— गोपाल पिता जेठू जाट निवासी उम्मेदपुरा
8— रामस्वरूप पिता देवा नाई निवासी उम्मेदपुरा — विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल0आर0एक्ट विरुद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का ड़ोहरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 286 आ0न0 442 रकबा 0.21 है0, आ0न0 443 रकबा 1.42 है0, आ0न0 444 / 1117 रकबा 0.21 है0, आ0न0 155 रकबा 0.24 कुल किता 04 रकबा 2.08 है0 स्थित है। प्रार्थिया की पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थिया की आराजी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरुद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन

किया गया। जमाबन्दी ग्राम उम्मेदपुरा पटवार मण्डल ड़ोहरिया संवत 2071 से 74 खाता संख्या 286 आ0न0 442 रकबा 0.21 है0, आ0न0 443 रकबा 1.42 है0, आ0न0 444/1117 रकबा 0.21 है0, आ0न0 155 रकबा 0.24 कुल किता 04 रकबा 2.08 है0 का प्रार्थिया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का ड़ोहरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 286 आ0न0 442 रकबा 0.21 है0, आ0न0 443 रकबा 1.42 है0, आ0न0 444/1117 रकबा 0.21 है0, आ0न0 155 रकबा 0.24 कुल किता 04 रकबा 2.08 है0 प्रार्थिया के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 800/- (अक्षरे आठ सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा